

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 3(9)गृह-1 / 2024 (19125)

जयपुर, दिनांक : ई-साइन

—: आदेश :—

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2024 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती, 2021 के परिणाम के आधार डीएनए खण्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री रामगोविन्द यादव (मेरिट-एम 01, रोल नं. 400515) दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए 15 दिवस की अवधि में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

तत्पश्चात श्री रामगोविन्द यादव को कार्यग्रहण अवधि में 01 माह की अभिवृद्धि स्वीकृत कर दिनांक 14.02.2025 तक कार्यग्रहण करने तथा नवनियुक्त पद पर कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त करने हेतु अवगत कराया गया परन्तु श्री यादव ने आदिनांक भी नवनियुक्त पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है एवं न ही इस संबंध में कोई लिखित सूचना विभाग में प्रस्तुत की गई है।

यहां यह विदित है कि विभाग के समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2024 के बिन्दु संख्या 13 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 15 दिवस तक भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है, तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

अतः श्री रामगोविन्द यादव द्वारा प्रदत्त समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2024 द्वारा जारी की गई, इनकी नियुक्ति एतद्वारा निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मा. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री रामगोविन्द यादव मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

